



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 3290-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2015

दिनांक: 07 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिक को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नतियों को निरस्त किया जाता है। तत्क्रम में एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर उनका अधिशासी अभियन्ता के पद पर विचारित चयन, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के कारण मुहरबन्द लिफाफे में सुरक्षित होने के दृष्टिगत उन्हें स्तम्भ-04 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत करते हुए एतद्वारा स्तम्भ-05 के अनुसार तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम/सम्प्रेक्षा सं०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	हरी प्रसाद कौशल (अनु०जा०) 92044/हरदोई 31.08.2021/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
2.	रमेश चन्द्रा (अनु०जा०) 92125/अलीगढ़ 31.08.2023/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-3, केस्को लि०, कानपुर।	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
3.	हुब लाल (अनु०जा०) 95107/इलाहाबाद 31.12.2027/वैद्युत एवं यान्त्रिकी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड, बस्ती।	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 3290-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

- उक्त के अतिरिक्त, मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।

- | | | | |
|---------------------|---|--|--|
| 10- | सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल । | | |
| | कि ज्ञात है सम्पत्ति के (1)६ ज्ञात के सम्पत्तिगण के ज्ञानार्थ कि ज्ञात कि ज्ञात ज्ञानार्थ | ज्ञात ज्ञानार्थ के (1)६ ज्ञात ज्ञानार्थ के (1)६ ज्ञानार्थ कि ज्ञानार्थ | ज्ञात ज्ञानार्थ के (1)६ ज्ञानार्थ के (1)६ ज्ञानार्थ कि ज्ञानार्थ |
| | (अ) | (ब) | (ग) |
| ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ |
| ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ |
| ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ | ज्ञानार्थ ज्ञानार्थ |